भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-212
उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सहायता का विस्तार

***212. श्री राम शिरोमणि वर्मा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित छात्रों, जो वित्तीय कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, की सहायता करने के लिए उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति, छात्रावास, डिजिटल शिक्षा और अन्य शैक्षणिक सहायता के दायरे का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार इस संबंध में किसी समयबद्ध कार्ययोजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सहायता का विस्तार के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 212 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 उच्चतर शिक्षा में पहुंच, साम्य, वहनीयता और समावेशन पर जोर देती है। सरकार सभी छात्रों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिन्हें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी छात्रों को लाभ प्रदान किए जाते हैं, जो उनके माता-पिता की आय की उच्चतम सीमा और योजना दिशानिर्देशों के अध्यधीन होते हैं।

उच्चतर शिक्षा विभाग (डीओएचई) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना को लागू करता है, जिसमें योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर परिवारों से संबंधित पात्र छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं जैसे (i) कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना और (ii) जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए पीएम-यूएसपी विशेष छात्रवृत्ति योजना शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 में, केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 1.09 करोड़ छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) छात्रों के लिए लगभग 36 लाख छात्रवृत्तियां, अनुसूचित जातियों (एससी) के छात्रों के लिए लगभग 48 लाख छात्रवृत्ति; और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के छात्रों के लिए लगभग 24 लाख छात्रवृत्तियां शामिल हैं।

सरकार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) जैसे संस्थानों में उच्च शिक्षा को किफायती बनाने के लिए, समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को ट्यूशन फीस में छूट प्रदान कर रही है। अकादमिक वर्ष 2016-17 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग छात्रों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों (जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से कम है) के लिए फीस में पूरी छूट दी जा रही है, तथा साथ ही, आर्थिक रूप से अन्य पिछड़े छात्रों (जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच है) के लिए दो तिहाई ट्यूशन फीस में छूट दी जा रही है। 31 एनआईटी

और आईआईईएसटी-शिबपुर भी अपने संस्थानों में स्नातकोत्तर (एमई/एमटेक) कार्यक्रमों के लिए एससी/एसटी/पीएच श्रेणी के छात्रों को ट्यूशन फीस में 100% छूट प्रदान कर रहे हैं।

सरकार ने उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में छात्रावास सुविधाओं सहित अवसंरचना के सृजन और विस्तार में सहायता प्रदान की है, जो पात्र संस्थाओं में अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार, एचईएफए ने वर्ष 2017 में अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों (सीएफआई) को 24,977.62 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय छात्रों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर अतिरिक्त छात्रावास अवसंरचना का सृजन करते हैं। केन्द्र सरकार सहायता अनुदान और उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) से वित्तपोषण के माध्यम से छात्रावासों सहित विश्वविद्यालय अवसंरचना के विकास में सहायता प्रदान करती है। यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के रूप में 5,603.79 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2025-26 तक, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 1,13,943.55 करोड़ रुपये जारी किए गए। वर्ष 2026-27 के दौरान 17,440 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इन निधियों का उपयोग विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी शैक्षणिक, प्रशासनिक और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में उच्चतर शिक्षा, विशेष रूप से एसटीईएम संस्थाओं में नामांकन में सुधार और मुख्य शैक्षणिक पहुंच अवसंरचना के रूप में वहनीय छात्रावास क्षमता बनाने के लिए प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास की स्थापना का प्रस्ताव किया है। एसटीईएम नामांकन में महिला छात्रों की हिस्सेदारी में भी पिछले कुछ वर्षों में लगातार सुधार हुआ है, जो 2014-15 में 38.4% से बढ़कर 2023-24 में 44% हो गया है (एआईएसएचई डेटा 2023-24), जो देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा में बढ़ती लैंगिक समावेशिता को दर्शाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी- 2020) डिजिटल शिक्षा के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना करती है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए उच्च-गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। यह नीति शिक्षा प्रणाली में डिजिटल उपकरणों, संसाधनों और प्लेटफार्मों के एकीकरण को बढ़ावा देती है। एनईपी 2020 के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय "सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी)" को कार्यान्वित करता है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा की सभी प्रक्रियाओं में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाना है। एनएमईआईसीटी योजना के तहत, प्रमुख संस्थानों से पाठ्यक्रमों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए यंग एस्पायरिंग माइंड्स फॉर एक्टिव-लर्निंग ऑफ स्टडी वेब (स्वयम) प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर 20,000 से अधिक पाठ्यक्रमों का प्रसारण हुआ हैं और इस पर इसकी स्थापना के बाद से संचयी नामांकन 6 करोड़ से अधिक हो चुका है। इसके अलावा, उद्योग-अकादमिक सहयोग बढ़ाने और

शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने बहुभाषी स्वयम प्लस प्लेटफॉर्म आरंभ किया है। जुलाई 2026 तक, यह प्लेटफॉर्म 89 उद्योग भागीदारों के सहयोग से 15 क्षेत्रों में 500 से अधिक उद्योग-अनुकूल पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से नवंबर 2023 में साथी (प्रवेश परीक्षा के लिए स्व-मूल्यांकन, परीक्षा और सहायता) पोर्टल शुरू किया है, ताकि जेईई, नीट, सीयूईटी, आईसीएआर, एसएससी और आईबीपीएस आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान की जा सके। यह प्लेटफॉर्म आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों सहित सभी शिक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रमुख संस्थानों से निशुल्क शैक्षिक सामग्री और मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब तक 21 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पात्र उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं के छात्रों के लिए विद्वतापूर्ण पत्रिकाओं तक राष्ट्रव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) पहल शुरू की है, जिससे गुणवत्तायुक्त शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच सुदृढ़ हो सके। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) योजना के तहत सभी पात्र संस्थानों की 32 प्रकाशकों के 13,000 से अधिक पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। 7499 उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) एवं अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) संस्थान ओएनओएस के तहत शामिल किए गए हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने नवंबर 2024 में पीएम-विद्यालक्ष्मी आरंभ की है, जो केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय बाधाओं के कारण किसी भी छात्र को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए। इस योजना के तहत, संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण उन सभी छात्रों को प्रदान किया जाता है, जो शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता-आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं और जो शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज छूट प्रदान करती है। 6 नवंबर 2024 को इस योजना के आरंभ के बाद से 21 जुलाई 2026 तक, 1,12,817 संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त पीएम विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत राशि 15,634.78 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा विभाग पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना लागू कर रहा है। पीएम यूएसपी-सीएसआईएस योजना के तहत, सभी छात्रों को पूर्ण ब्याज छूट प्रदान की जाती है जो एनएएसी से प्रत्यायित संस्थानों या एनबीए या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) द्वारा प्रत्यायित व्यावसायिक/तकनीकी कार्यक्रमों से तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अननुशीलन कर रहे हैं और जिनकी अधिस्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वार्षिक पारिवारिक आय ₹4.5 लाख तक है। इस योजना के लिए छात्र लाभार्थियों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार के शिक्षा ऋण के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन क्रेडिट गारंटी फंड योजना (पीएम-यूएसपी सीजीएफएसईएल) के तहत, 7.5 लाख रुपये तक के स्वीकृत शिक्षा ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान की जाती है। गारंटी कवर बकाया डिफ़ॉल्ट का 75% तक है। इसके अलावा, भारतीय बैंक संघ की मॉडल शिक्षा ऋण योजना के तहत, शिक्षा ऋण के लिए पुनर्भुगतान अवधि अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम वर्ष प्लस एक वर्ष) के बाद 15 वर्ष तक है।

इस प्रकार, विभिन्न छात्रवृत्तियों के साथ-साथ पीएम विद्यालक्ष्मी, पीएम-यूएसपी सीएसआईएस और पीएम यूएसपी सीजीएफएसईएल योजनाएं मिलकर सभी योग्य छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए समग्र सहायता प्रदान करती हैं। इन संचयी पहलों के परिणामस्वरूप, उच्चतर शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2014-15 में 23.7 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 30 हो गया। इसी अवधि के दौरान महिला जीईआर 22.9 से बढ़कर 31.2 हो गया। एससी जीईआर में 8.9 अंकों की वृद्धि हुई है और एसटी जीईआर में वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक 9.3 अंकों की वृद्धि हुई है।जीईआर में वृद्धि के साथ छात्र नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कुल उच्चतर शिक्षा नामांकन 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 4.50 करोड़ हो गया है, और इस प्रकार उच्चतर शिक्षा प्रणाली में 1.08 करोड़ से अधिक छात्र जुड़ गए हैं।
